भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न 2869

मार्च 10, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि में महिलाओं का सशक्तिकरण

2869. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कृषि श्रमबल का लगभग 42 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं का है और उनमें से लगभग आधी संख्या ऐसे परिवार के सदस्यों की है, जिन्हें पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कृषि में महिलाओं के श्रम को औपचारिक रूप देने और अच्छी आय सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने का अवसर देने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार महिलाओं के लिए भूमि स्वामित्व की कमी जैसी चुनौतियों का समाधान कर रही है, जो औपचारिक ऋण, राजसहायता और बीमा योजनाओं तक उनकी पहुंच में बाधा हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का महिला कृषि श्रमिकों के सशक्तिकरण के लिए 'अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026' का लाभ उठाने हेतु कोई कार्ययोजना तैयार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क): सरकार मौजूदा पात्रता नियमों के अनुसार महिला किसानों सहित किसानों के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) कृषि क्षेत्र में लगे श्रमबल के अनुमानित प्रतिशत सम्मिलित है। ग्रामीण क्षेत्रों में, महिला कृषि रोजगार वर्ष 2017-18 में 73.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 76.9 प्रतिशत हो गया। जेंडर के दृष्टिकोण से, महिला श्रम बल भागीदारी दर (एफएलएफपीआर) सात वर्षों से बढ़ रही है, अर्थात 2017-18 में 23.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 41.7 प्रतिशत हो गई है, जो मुख्य रूप से ग्रामीण महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से प्रेरित है।

(ख): सरकार कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) स्कीम और भाकृअनुप-केन्द्रीय कृषि महिला संस्थान (आईसीएआर-सीआईडब्ल्यूए) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि राज्य सरकारों के विस्तार कर्मियों और किसानों के बीच प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, प्रदर्शन और क्षमता विकास के माध्यम से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा दिया जा सके। एसएमएएम योजना के तहत महिला किसानों को कृषि मशीनरी पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे एसएमएएम फंड का 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए व्यक्तिगत मशीनरी स्वामित्व के लिए निर्धारित करें। आत्मा योजना के अंतर्गत कम से कम 30 प्रतिशत संसाधन महिला किसानों और महिला विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित किए जाते हैं।

(ग): भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में सभी राज्यों को अधिकार अभिलेख में जेंडर के लिए एक कॉलम को शामिल करने के लिए कहा है। इस कदम से महिला भूमि स्वामियों की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीआई) के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों और क्षेत्रों के लिए बुवाई-पूर्व से लेकर कटाई के बाद तक फसल को होने वाले नुकसान के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत बटाईदार, पट्टेदार तथा महिला किसान सहित सभी इच्छुक किसान नामांकन कराने के पात्र हैं। सरकार विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस) कार्यान्वित कर रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों द्वारा उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त अल्पकालिक कृषि ऋणों पर रियायती ब्याज दरें प्रदान करना है। इस योजना के तहत, किसानों (महिला किसानों सहित) को 7% की रियायती ब्याज दर पर केसीसी ऋण मिलता है। इसके अतिरिक्त, जो किसान अपने ऋण को तुरंत चुकाते हैं, उन्हें 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) मिलता है, जिससे ब्याज दर प्रभावी रूप से 4% प्रति वर्ष हो जाती है।

(घ): अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 के उपलक्ष्य में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), नई दिल्ली में 12-14 मार्च, 2026 को कृषि-खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की भूमिका पर वैश्विक सम्मेलन (जीसीडब्ल्यूएएस-2026) का आयोजन कर रहा है, जिसका उद्देश्य विभिन्न स्टेकहोल्डर्स को एकत्र करना, अनुभव साझा करना, विश्लेषणात्मक अध्ययन और कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण और नेतृत्व की सफलता की प्रेरणादायक कहानियों को प्रस्तुत करना है; महिलाओं के नेतृत्व को और अधिक बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों की पहचान और प्रचार करने और महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करना है।

*****